

कार्यालय ग्राम पंचायत चिखड़

विकास खण्ड व तह0 ठियोग, जिला शिमला-हि0प्र0।

क्रमांक.....

दिनांक 04-05-2022

विषय:- अनापति प्रमाण देने बारे।

आज दिनांक 04-05-2022 ग्राम पंचायत चिखड़ के वार्ड न0 3 भोट बरेलटी में एक आम बैठक हुई इस बैठक में इस वार्ड के 140 जन संख्या में से लगभग 75 लोगों ने भाग लिया इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वार्ड में ग्राम पंचायत चिखड़ के अन्तर्गत जंगल रोहरू में नगरपरिषद ठियोग ठोस व तरल कुड़ा प्रवन्धन का पलांट लगाना चाहती है जिसके विषय में गांव भोट बरेलटी ग्राम पंचायत चिखड़ से सिफारिश की गई थी।

इस उपरोक्त विषय के उपर सम्बन्धित वार्ड के सदस्य ने निर्णय लिया कि यह पलांट लगाना जरूरी है परन्तु इस पलांट के लगाने से ग्राम पंचायत चिखड़ के जल स्रोत दूषित न हो इसका ख़ास ध्यान रखा जाए इसके उपरान्त इस विषय पर सभी ग्रामवासीयों ने निर्णय लिया कि नगर परिषद ठियोग को यह पलांट लगाने की अनुमति सम्बन्धित विभाग प्रदान करे इसमें ग्रामवासीयों को कोई अनापति नहीं है।



ANNEXURE-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

चिरवड (जंगल रोहर (बरेली)

प्रस्ताव संख्या 4

दिनांक 02/05/22

वन अधिकार समिति ग्राम सभा जंगल रोहर (बरेली) की बैठक आज दिनांक 02/05/2022 को

11.00am बजे, स्थान बरेली में श्री/श्रीमति प्रेम सिंह

की अध्यक्षता में की गई जिसमें जंगल रोहर (बरेली) गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत D52 (रोहर) जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें जंगल रोहर विभाग द्वारा रोहर व गल कुज प्रखण्ड के निर्माण के लिए

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन

अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही

पाया गया :-

क्र० सं०

पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

1.

प्रेम सिंह

D52 (रोहर)

चरई

2.

अनु

3.

फाही राम

4.

किशोर

5.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०

पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

D52 (रोहर) जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

सचिव

वन अधिकार समिति

गांव बरेली, डियोग जिला शिमला

अध्यक्ष

ग्राम सभा

गांव बरेली, डियोग जिला शिमला

- ❖ ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ❖ प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

ANNEXURE-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (चिरवड)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7.

दिनांक 03/05/2022

ग्राम सभा चिरवड की बैठक आज दिनांक 03/05/2022 को 11.00 am बजे, स्थान चिरवड

वन अधिकारी समिति (बरेली) / श्रीमति सुनील शर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 052 जंगल रोहट जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें चिरवड वारिष् डियोग

विभाग द्वारा बेस व तरत कडा प्रान्धन के निर्माण के लिए हैक्टयर वन

भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0 सं0	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>श्रीम एसिंह</u>	<u>052 (रोहट)</u>	<u>चरई</u>
2.	<u>अनु</u>		
3.	<u>कुबेर राम</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नयमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0 सं0	पात्र ग्राम वासी का नाम
--------	-------------------------

- 1.
 - 2.
 - 3.
- तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 052 (रोहट) जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चिरवड

दिनांक 03/05/2022

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

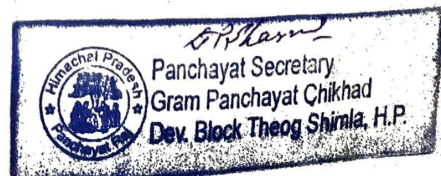
ग्राम सभा



- ❖ ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के आवेदन किया है।
- ❖ प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि उपयोग की अनुमति दी जानी है

सचिव हमदी
वन अधिकार समिति
गांव बरेली, डियोग जिला हिमालय

ग्राम सभा
वन अधिकार समिति
गांव बरेली, डियोग जिला हिमालय



Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (चिरवड)
विकास खण्ड ठिगोरा जिला शीमला हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7

दिनांक 03/05/2022

गणपूर्ति 75 / 140

विषय : नगर परिषद् ठिगोरा विभाग / संस्था को ठोस व तरब कड़ा प्रवन्धन
के निर्माण हेतु 052 (जंगल रोड) जंगल /
वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा चिरवड (जंगल रोड) (बरेली) की बैठक आज दिनांक 03/05/2022 को 11.00 am बजे,
स्थान चिरवड में की गई, जिसमें नगर परिषद् ठिगोरा विभाग / संस्था को
ठोस व तरब कड़ा प्रवन्धन के निर्माण हेतु चिरवड
जंगल / वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को ठोस व तरब कड़ा प्रवन्धन निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा चिरवड (जंगल रोड) (बरेली) की सहमति दी जाती है।

स्थान चिरवड
दिनांक 03/05/2022

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

